न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 745 / 2019
अनवान : –

1. बादो देवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. सुलोचना पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर–मृतक
   क.– सुरजीत पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर–फौत
2. बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. मेसर पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवकता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 6/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 106 / 91 के खसरा न0 157 की 4.6790 हैक्ट, 185 / 1 की 7.0050 हैक्ट, 190 की 2.8470 हैक्ट कुल 14.5310 हैक्ट भूमि का वाद पेश किया गया था। न्यायालय ने वाद विधिवत सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17.01.2019 द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया था जिसके विरूद्ध वादीगण ने न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील स0 66 / 2019 बाधो देवी आदि बनाम रामचन्द्र व अन्य प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 16.07.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की संशोधित वादपत्र प्रस्तुत होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उभयपक्षों का साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 106 / 91 के खसरा न0 157 की 4.6790 हैक्ट, 185 / 1 की 7.0050 हैक्ट, 190 की 2.8470 हैक्ट कुल 14.5310 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई। वर्तमान खसरा परिवर्तन में साबिका खसरा न0 162 की 93.07 बीघा भूमि हाल रोही मौजा खरसण्डी के खसरा न0 157 की 18.10, [illegible] की 9.19 व 190 की 11.05 बीघा में पैमूद हो चुकी है जो प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] के कारण दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के दो पुत्र रामसिंह व बनवारी तथा पुत्री मेसर कुल तीन वारिस है जिसमें से रामसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादीगण है इसलिए रामचन्द्र के नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से दर्ज भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी नियम 9 व सीपीसी पेश किया जो कि स्वीकार किया गया। दिनांक 17.08.2023 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 पेश किया गया जो कि स्वीकार किया गया। संशोधित अर्जीदावा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया की पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है राजीनामा के मुताबिक वाद भूमि में प्रतिवादीगण मेसर ने अपने भाई बनवारी पुत्र रामचन्द्र व भाभी बाधो देवी व भतीजी सिलोचना के पक्ष में अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग कर दिया है मेसर ने अपने हिस्सा में से 1/2 हिस्सा बनवारी तथा 1/2 हिस्सा बाधो व सिलोचना के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा मुताबिक राजीनामा रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर की जमाबंदी में सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 115 के ख0न0 157 की 4.6790 हैक्ट भूमि खसरा न0 185/1 की 7.0050 हैक्ट भूमि कुल 11.6840 हैक्ट भूमि वादीगण बाधो देवी व सिलोचना 1/2 हिस्सा व बनवारी का 1/2 हिस्सा होगा तथा ख0न0 190 की 2.840 हैक्ट भूमि अकेले बनवारी की होगी इसी अनुसार निर्णय फरमाया जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा के रोही मौजा खसरसण्डी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 115/109 के ख0न0 157 की 4.6790 हैक्ट, ख0न0 185/1 की 7.0050 हैक्ट भूमि कुल 11. 6840 हैक्ट भूमि में मृतक रामचन्द्र का नाम कलमजन कर वादीगण का 1/2 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी बनवारी का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा ख0न0 190 की 2.870 हैक्ट भूमि प्रतिवादी बनवारी अकेले के नाम खातेदार दर्ज की जावें।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण मेसर ने अपने भाई बनवारी पुत्र रामचन्द्र 1/2 हिस्सा व भाभी बाधो देवी व भतीजी सिलोचना के पक्ष में बहिब 1/2 हिस्सा भूमि का त्याग कर दिया है। मृतक रामचन्द्र का नाम कलमजन कर उक्तानुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादीगण डिक्री फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खरसण्डी के साबिका खसरा न0 262 की 93.07 बीघा भूमि रामचन्द्र के नाम से दर्ज थी प्रस्तुत जमाबंदी से साबित है। उक्त साबिका खसरा न0 की भूमि पैमाईश हाल में साबिका खसरा न0 162 की 93.07 के हाल खाता संख्या 106/91 के खसरा न0 157 की 4.6790 हैक्ट एवं 185/1 की 7.0050 हैक्ट, 190

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 2.8470 हैक्ट कुल 14.5310 हैक्ट भूमि रामचन्द्र पुत्र चेतनराम के नाम दर्ज है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी से साबित है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि चेतनराम पुत्र काना के नाम के नाम वाद भूमि पूर्व में दर्ज थी चेतनराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र चेतराम के नाम दर्ज हुई एवं रामचन्द्र के चार वारिस रामसिंह, बनवारी, सुरजीत पत्नी रामचन्द्र व मेसर हुए जिसमें से रामसिंह व मेसर का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान बाधोदेवी व सिलोचना वादीगण है। उक्त वाद भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण मेसर ने अपना हक हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूमि बनवारी को तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि बाधो व सिलोचना के पक्ष में त्याग कर दिया है। वादीगण के कथनों को पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण पक्षकारान की सहमति एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076—2079 के खाता संख्या 115/109 के ख0न0 157 की 4.6790 हैक्ट, ख0न0 185/1 की 7.0050 हैक्ट भूमि कुल 11.6840 हैक्ट भूमि में मृतक रामचन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिब प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी को 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा ख0न0 190 की 2.8470 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 745/2019

अनवान : –

1. बादो देवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. सुलोचना पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर–मृतक
   क.– सुरजीत पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर–फौत
2. बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. मेसर पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 745 सन 2019 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 115/109 के ख0न0 157 की 4.6790 हैक्ट, ख0न0 185/1 की 7.0050 हैक्ट भूमि कुल 11.6840 हैक्ट भूमि में मृतक रामचन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिब प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी को 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा ख0न0 190 की 2.8~~7~~70 (4) हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:05 IST
Reason: SelfAttested